"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अप्रैल 2010—चैत्र 12, शक 1932

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) ( ) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/एक/2.—श्री डी. एस. मिश्र, भा.प्र.से. (1982) कृषि उत्पादन आयुक्त तथा प्रमुख सचिव, कृषि विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

2. श्री अविनाश चंपावत, भा.प्र.से. (2003) उप सचिव, वित्त विभाग को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग तथा पदेन अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

गृह विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2010

क्र. एफ 7-2/गृह-दो/2010.—जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा जनगणना नियम, 1990 के नियम 8 के उप-नियम (तीन) के अनुसरण में, राज्य सरकार घोषित करती है, कि मकान सूचीकरण, मकानों की गणना का कार्य राज्य में 1 मई 2010 से 15 जून 2010 के दौरान किया जायेगा.

No. F 7-2/Home-2/2010.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Census Act, 1948 (No. 37 of 1948) and in pursuance of sub-rule (iii) of Rule 8 of the Census Rules, 1990, the State Government declares that the Houselisting, Housing Census Operations shall be made in the State during the period from 1st May, 2010 to 15th June, 2010.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश चन्द्र मिश्र, सचिव.

गृह (जेल) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2010

क्रमांक-एफ 3-4/तीन-जेल/2009.—कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का सं. 9) की धारा 59 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कारागार नियम, 1968 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 571 में, उप-नियम (1), (2) एवं (3) का लोप किया जाए तथा उप-नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्त:स्थापित किया जाये, अर्थात्—

(5) "कारागार परिसर में बिड़ी, सिगरेटों तथा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री तथा जेल के अन्त:वासियों द्वारा या जेल कर्मियों या जेल परिसर में आने वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा इसका उपभोग प्रतिबंधित रहेगा."

No. F-3-4/Three-Jail/2009.—In exercise of the powers conferred by section 59 of the Prisons Act, 1894 (No. 9 of 1894), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Prisons Rules, 1968, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

In the Rule 571, sub-rule (1), (2) and (3) shall be omitted and after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

(5) "Sale of Bidies, Cigarettes and other Tobacco products, in prison premises and consumption of it, either by jail inmates, Jail officials or by other individuals visiting jail premises, shall be prohibited."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ला, संयुक्त सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2010

क्रमांक एफ 8-5/2006/11/(6).--इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा एन.टी.पी.सी. कोरबा के बायलर क्रमांक-एम.पी./3542 को दिनांक 01-04-2010 से 30-06-2010 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2010

क्रमांक एफ 9-5/2010/16.--प्रबंधक, लाफार्ज इंडिया प्रायवेट लिमिटेड आरसमेटा सीमेंट प्लांट, गोपाल नगर जिला जांजगीर-चांपा के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनियुक्ति महासचिव लाफार्ज इंडिया एम्पलाईज श्रमिक संगठन (इंटक) आरसमेटा गोपाल नगर, जिला जांजगीर-चांपा द्वारा किया जा रहा है एवं लाफार्ज ईंडिया प्रायवेट लिमिटेड आरसमेटा सीमेंट प्लांट गोपाल नगर जिला जांजगीर-चांपा के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद के माननीय श्रम न्यायालय के पंच निर्णयार्थ संदर्भ किये जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अत: छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 51 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुरूप औद्यो. न्यायालय, खण्ड पीठ बिलासपुर के पंच निर्णयार्थ सौंपता हूं.

अनुसूची

क्या आरसमेटा सीमेंट प्लांट के मजदूरों को जिस पर पी.एफ. की कटौत्री है उस राशि पर 20 प्रतिशत बोनस/एक्सग्रेसिया भुगतान दशहरा पूर्व किया जाना वैध एवं उचित है ? अगर हां तो नियोजक को क्या निर्देश है तथा श्रमिक किस सहायता के पात्र हैं ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढॉड, प्रमुख सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2010

क्रमांक एफ 10-19/2010/वाकर/पांच (22).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— **(1)** ये नियम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2010 कहलायेंगे ।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, (एक) अधिकरण कार्यालय में सचिव के पद के संबंध में, अध्यक्ष वाणिज्यिक कर अधिकरण; तथा (दो) अधिकरण में समस्त पदों के संबंध में; अध्यक्ष के अनुमोदन से, सचिव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण;
(ख) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित सीधी भर्ती के लिए चयन समिति;
(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;
(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;
(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;
(च) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ;
(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;
(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;
(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क. एफ-8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग ;
(ञ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ वेट नियम, 2006 के नियम 4 (2) (क) के अधीन नियुक्त छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण के अध्यक्ष;
(ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण सेवा।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—
(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;
(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदो की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा।
परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदो की संख्या में, समय-समय पर, या तो स्थाई या अस्थाई तौर पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा या मेरिट के आधार पर चयन या साक्षात्कार द्वारा, सीधी भर्ती द्वारा।
(ख) पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची—चार में विनिर्दिष्ट है।
(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मौलिक/स्थानापन्न हैसियत से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिदिष्ट किया जाये।

(2) उप—नियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—दो के कॉलम (3) में दर्शाये अनुसार पदों की संख्या के अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उप—नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् सेवा में भर्ती के उन तरीको को छोड़ जिनको उक्त उप—नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगी, जो वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिये, मेरिट के आधार पर चयन के लिए सरकार द्वारा मापदण्ड विनिर्दिष्ट किये जायेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित किया जाना आवश्यक होगा, जो इन मापदण्डों से भिन्न, अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू रहेंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**— प्रतियोगिता हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1). आयु.— (क) विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (4) एवं (5) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और आयु सीमा की शर्तें पूरी करनी चाहिए।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट दी जायेगी ।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम—14 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों को उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम दस वर्ष तक की छूट दी जायेगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों या रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी:—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा कार्यभारित कर्मचारियों, तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के कार्यभारित कर्मचारियों को भी उपलब्ध होगी।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो "छटनी किया गया शासकीय सेवक हो", उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द "छटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक ईकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना मे कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :–शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जिसे अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें ;
- (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने के पश्चात्,
- (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हे उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है;

(चार) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(पांच) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(छः) ऐसे "भूतपूर्व सैनिक" जिन्हे इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(आठ) मद्रास सिविल इकाई के "भूतपूर्व कार्मिक"।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान तथा महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त तथा राष्ट्रीय युवा सम्मान प्राप्त युवाओं के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी है, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार पूर्ण की गई सेवा की कालावधि के लिए सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जाएगी, किन्तु किसी भी स्थिति में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप – (1) उपरोक्त खण्ड (घ) के उप–खण्ड (एक) एवं (दो) में वर्णित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, जिन अभ्यर्थियों को चयन में प्रवेश दिया गया हो, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे ।

(2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन के लिए उपस्थित होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू रहेंगे।

(2) शैक्षणिक अर्हतायें.– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए निर्धारित ऐसी शैक्षणिक अर्हताये होनी चाहिये जैसी कि अनुसूची–तीन में दर्शाई गई हैं।

(3) फीस.– अभ्यर्थी को सरकार द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा ।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी अवैधानिक साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिये उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिये किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नही दिया जायेगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.**– **(1) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**– नियुक्ति प्राधिकारी, एक चयन समिति का गठन करेगा, जिसमें तीन सदस्य होंगे।

(एक) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जायेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, सरकार के परामर्श से समय–समय पर निर्धारित करें।

(दो) परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशो के अनुसार चयन समिति द्वारा ली जायेगी।

(2) चयन द्वारा सीधी भर्ती.– **(एक)** सेवा में सीधी भर्ती के लिए, चयन ऐसे अन्तरालों से किया जाएगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये।

(दो) सेवा में अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार द्वारा, चयन समिति द्वारा किया जायेगा, और

(तीन) चयन समिति का गठन समय–समरा पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थियों जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम नियम–12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हे प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त चयनित किया गया हो, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती में, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए अनुभव की कुछ कालावधि आवश्यक शर्त के रूप में विहित की गई है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि रिक्त पदों पर भर्ती हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू रहेगा।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.–(1)**नियुक्ति प्राधिकारी, उन अभ्यर्थियों की जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा की चयन समिति अवधारित करे, गुणागुण (मेरिट) क्रम में व्यवस्थित एक सूची तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया हो, तैयार करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हो।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **परिवीक्षा.–** सेवा में सीधे भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा।

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.– (1)** पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी।

परन्तु इस उप नियम के अधीन समिति के गठन के प्रयोजन के लिये, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंधों का भी अनुसरण किया जायेगा।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालो में होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(4) रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रकिया, उप–नियम (3) में उल्लिखित नियमों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

15. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता की शर्तें.–(1)** उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों पर जिनसे पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पदों पर (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) उतने वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है, तथा उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हो।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति.– (1) संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस वर्ष से की जायेगी, जिसमें शासकीय सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आये हो और वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) पदोन्नति में आरक्षण के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंध लागू होंगे।

(3) शासन द्वारा पदोन्नति के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

16. **पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.– (1)** विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम–15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(2) पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार करने हेतु मापदण्ड, ज्येष्ठता सह उपयुक्तता (सीनिऑरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी ।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार ऐसे चयन सूची की तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण:– ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जिसे सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

17. **चयन सूची.– (1)** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से, अनुसूची–चार के कॉलम **(3)** में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी ।

(2) पदोन्नति हेतु चयन सूची, इसके अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के लिये विधिमान्य होगी, जिसमें चयन सूची तैयार की गयी हो ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.– (1)** चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की नियुक्ति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) साधारणतया उस व्यक्ति का, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख की बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो ।

19. परिवीक्षा.– सेवा में पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

20. निर्वचन.– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा और जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

21. शिथिलीकरण.– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे न्यायसंगत और उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है ।

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो ।

22. व्यावृत्ति.– इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. निरसन और व्यावृत्ति.– इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

अनुसूची – एक

(नियम – 4 एवं 5 देखिये)

सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	ग्रेड वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सचिव/पंजीयक	1	प्रथम श्रेणी	15,600–39,100	6,600
2	कार्यालय अधीक्षक	1	तृतीय श्रेणी	9,300–34,800	4,300
3	लेखापाल	1	तृतीय श्रेणी	5,200–20,200	2,400
4	रीडर/सहायक ग्रेड–1	2	तृतीय श्रेणी	5,200–20,200	2,800
5	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	2	तृतीय श्रेणी	5,200–20,200	2,800
6	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	2	तृतीय श्रेणी	5,200–20,200	2,800
7	स्टेनो टाइपिस्ट	1	तृतीय श्रेणी	5,200–20,200	1,900
8	रिकार्ड कीपर	1	तृतीय श्रेणी	5,200–20,200	1,900
9	ग्रंथालय सहायक	1	तृतीय श्रेणी	5,200–20,200	1,900
10	डाटा एण्ट्री आपरेटर	1	तृतीय श्रेणी	5,200–20,200	1,900
11	सहायक ग्रेड– 2	3	तृतीय श्रेणी	5,200–20,200	2,400
12	सहायक ग्रेड–3	3	तृतीय श्रेणी	5,200–20,200	1,900
13	जमादार	1	चतुर्थ श्रेणी	4,750–7,440	1,400
14	भृत्य	6	चतुर्थ श्रेणी	4,750–7,440	1,300
15	आदेशिका वाहक	3	चतुर्थ श्रेणी	4,750–7,440	1,300
	कुल	29			

अनुसूची–दो
(नियम–6 देखिये)

भर्ती का तरीका

स. क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे गये पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्य की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा के व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सचिव	1	—	—	100%
2	कार्यालय अधीक्षक	1	—	100%	—
3	लेखापाल	1	—	100%	
4	रीडर/सहायक ग्रेड–I	2	—	75%	25%
5	स्टेनोग्राफर (हिन्दी)	2	50%	50%	—
6	स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी)	2	50%	50%	—
7	स्टेनो टाइपिस्ट	1	100%	—	—
8	रिकार्ड कीपर	1	100%	—	—
9	ग्रंथालय सहायक	1	100%	—	—
10	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	1	100%	—	—
11	सहायक ग्रेड– II	3	—	100%	—
12	सहायक ग्रेड– III	3	75%	25%	—
13	जमादार	1	—	100%	—
14	भृत्य	6	100%	—	—
15	आदेशिका वाहक	3	100%	—	—
	कुल	29			

अनुसूची–तीन
(नियम–8 देखिये)

सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें					
विभाग का नाम	स. क्र.	सेवा का नाम एवं पद का पदनाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ग्रेड वेतन
छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण		छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण तृतीय श्रेणी(अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवा			
	1	स्टेनोग्राफर हिन्दी	18 वर्ष	30 वर्ष/ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी 35 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2. छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन मण्डल या. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से, 100 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण। 3. छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन मण्डल या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से, 25 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण। 4.छत्तीसगढ़ शासन के मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष डिप्लोमा तथा डाटा एण्ट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटा।
	2.	स्टेनोग्राफर अंग्रेजी	18 वर्ष	30 वर्ष/ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी 35 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2. छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन मण्डल या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से, 100 शब्द प्रति मिनट से अंग्रेजी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण। 3. छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन मण्डल या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से, 30 शब्द प्रति मिनट से अंग्रेजी मुद्रलेखन उत्तीर्ण। 4.छत्तीसगढ़ शासन के मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष डिप्लोमा तथा डाटा एण्ट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटा।

	3.	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	30 वर्ष/ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी 35 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2. छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन मण्डल या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से, 60 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण। 3. छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन मण्डल या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से, 25 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण। 4.छत्तीसगढ़ शासंन के मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष डिप्लोमा तथा डाटा एण्ट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटा।
	4.	सहायक ग्रेड–III.	18 वर्ष	30 वर्ष/ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी 35 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2. छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन मण्डल या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से, 25 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण। 3. छत्तीसगढ़ शासन के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष डिप्लोमा तथा डाटा एण्ट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटा।
	5.	रिकार्ड कीपर	18 वर्ष	30 वर्ष/ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी 35 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण। 2. छत्तीसगढ़ शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन मण्डल या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से, 25 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण।
	6.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष/ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी 35 वर्ष	1. हायर सेकेण्डरी (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण।

					2. छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन मण्डल या छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था से, 25 शब्द प्रति मिनट से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण। 3. छत्तीसगढ़ शासन के मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष डिप्लोमा तथा डाटा एण्ट्री का 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटा।
	7.	ग्रंथालय सहायक	18 वर्ष	30 वर्ष/ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी 35 वर्ष	बी. लिब
	8.	भृत्य	18 वर्ष	30 वर्ष/ छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी 35 वर्ष	छत्तीसगढ़ शासन के मान्यता प्राप्त संस्था से 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये।

अनुसूची-चार

(नियम-11,12 एवं 13 देखिये)

पदोन्नति के लिए आवश्यक अर्हता एवं विभागीय पदोन्नति समिति का गठन

सेवा का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी हैं	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी हैं	पदोन्नति हेतु अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण सेवा	सहायक ग्रेड – I	कार्यालय अधीक्षक	5 वर्ष	इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा गठित समिति में तीन सदस्य होंगे।
	सहायक ग्रेड – II / लेखापाल	सहायक ग्रेड – I	5 वर्ष	इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा गठित समिति में तीन सदस्य होंगे।
	सहायक ग्रेड– III	सहायक ग्रेड – II / लेखापाल	5 वर्ष / 7 वर्ष (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण)	इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा गठित समिति में तीन सदस्य होंगे।
	भृत्य	सहायक ग्रेड– III	5 वर्ष	इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा गठित समिति में तीन सदस्य होंगे।

रायपुर, दिनांक 5 मार्च 2010

क्रमांक एफ 10-19/2010/वाकर/पांच (22).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-19/2010/वाकर/पांच (22), दिनांक 05-03-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 5th March 2010

No. F 10-19/2010/CT/V (22).—In exercise of the powers conferred by the proviso the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment of Chhattisgarh Commercial Tax Tribunal Service, namely :—

RULE

1. **Short title and commencement.- (1)** These rules may be called the Chhattisgarh Commercial Tax Tribunal Service (Recruitment and Conditions of Services) Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Appointing Authority' means:- (i) The Chairman, Commercial Tax Tribunal in respect of post of Secretary in the office of the Tribunal; and

(ii) The Secretary of the Chhattisgarh Commercial Tax Tribunal in respect of all other posts in the Tribunal, with the approval of the Chairman;

(b) 'Selection Committee' means, Selection Committee for direct recruitment approved by Chairman;

(c) 'Government' means the Government of Chhattisgarh;

(d) 'Governor' means the Governor of Chhattisgarh;

(e) 'Schedule' means the schedule appended to these rules;

(f) 'State' means the State of Chhattisgarh;

(g) 'Scheduled Castes' means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

(h) 'Scheduled Tribes' means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(i) 'Other Backward Classes' means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5 xxv 4-84 dated 26 December, 1984 as amended from time to time;

(j) 'Chairman' means Chairman of Chhattisgarh Commercial Tax Tribunal appointed under Rule 4(2)(a) of Chhattisgarh VAT Rules 2006;

(k) 'Service' means the Chhattisgarh Commercial Tax Tribunal Service.

3 **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the Service.-** The service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;
(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**–The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule–I.

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either in a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**– (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment, by competitive examination or by selection on the basis of merit and interview.
(b) By promotion as specified in Schedule-IV.
(c) By transfer/deputation of persons who hold in officiating/substantive capacity such posts in such services as specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time, exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of post as shown in column (3) of Schedule–II.

(3) Subject to provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling up any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the appointing authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, after obtaining approval of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For posts to be filled up by direct recruitment, Government may specify norms for selection on the merit basis; however, it will be mandatory on the part of appointing authority to constitute a selection committee, which may adopt other appropriate norms, different from these norms, by consent of the government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 and the directions issued by General Administration Department from time to time, shall be applicable.

7. **Appointment to the service.-** All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility for direct recruitment.- In order to be eligible to compete a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) Age.- (a) The candidate must have attained the age specified in column (4) and (5) of schedule III and must fulfill the condition of age limit on the first day of January next following the date of publication of the advertisement.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years, if a candidate belongs to a Scheduled Casts, Scheduled Tribes or other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum ten years to a women candidate in accordance with the provisions of rule-4 of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provisions for Appointment of Women) Rule, 1997.

(d) The upper age limit shall be relaxable to the candidates, who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below namely;

- (i) A candidate, who is a permanent Government Servant, should not be more than 38 years of age.
- (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be available to the contingency paid employees and work-charged employees and work charged employees of project implementation committee.
- (iii) A candidate, who is a "retrenched Government Servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:- The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration in the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all the defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed upper age limit by more than three years.

Explanation:- The term "Ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration in any Employment Exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and who -

(a) after completion of short-term engagement;

(b) fulfilling the conditions of enrolment, have been discharged.

(iii) "Ex-servicemen" (Military and Civil) Discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers;

(iv) "Ex-servicemen" discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(v) "Ex-servicemen" invalidated out of service;

(vi) "Ex-servicemen" discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(vii) "Ex-servicemen" who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc;

(viii) "Ex-personnel" of Madras Civil Unit.

(f) The general upper age limit shall be relaxable up to a maximum two years in respect of Green Cards holder candidates under the family welfare programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of an awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste marriage incentive scheme of the Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Other Backward Classes Welfare Department;

(h)The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of the Shaheed Rajiv Pande Award, Gundadhur Award and Maharaja Praveer Chand Bhanjdeo Awards holder and young holder of National Youth Award.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporations/Boards.

(j) The General upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guard and Non-Commissioned Officers for the period of service rendered so by them, subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.

Note - (1) The Candidates, who are admitted to selection, under the age concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after their selection. They will, however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

Note - (2) In no other case will these age limits be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their appointing Authority to appear for the selection.

(k) The instruction issued from time to time by General Administration Department in respect to age limit shall be applicable.

(2) Educational Qualification.- The Candidate must posses the educational qualification prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) Fees.- The candidate must pay the fees prescribed by the Government.

9. **Disqualification.-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any illegal means, may be held by the appointing Authority to disqualify him to admission in the examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidate shall be final.-** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be admitted to the examination/interview.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination/Selection.- (1) Direct Recruitment by Competitive Examination.-** Appointing Authority shall constitute a selection committee consisting of three members.

(i) Competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may, in consultation with the Government, from time to time determine.

(ii) The examination shall be held by the Selection Committee in accordance with the orders issued by the Appointing Authority from time to time.

(2) Direct recruitment by selection.- (i) The Selection for direct recruitment for the service shall be made at such intervals, as the Appointing Authority may, from time to time determine.

(ii) The selection of the candidates to the service shall be made by the Selection Committee by interviewing them, and

(iii) Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyaon, Anusuchit Jan Jatiyaon Aur Anya Pichhde Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling up the vacancies so reserved, candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule-12 irrespective of their relative rank as compared with other candidate.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, selected by the Appointing Authority to be suitable for the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(6) 30 percent posts shall be reserved for women candidates in direct recruitment in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) In such cases, where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of Appointing Authority it is found that the sufficient number of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and

Other Backward Classes candidates having requisite experience is not likely to be available for recruitment on the reserved posts, then the Appointing Authority may relax the condition of experience in respect of Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates and Other Backward Classes.

(8) Reservation for physically handicapped candidates shall be applicable as per the directions issued by General Administration Department.

12. **List of candidates recommended by the Selection Committee.-** (1) The Appointing Authority shall prepare a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Selection Committee may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to the appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for the appointment to the service.

13. **Probation.-** Every person directly recruited to the service shall be on probation for a period of two years.

14. **Appointment by Promotion.- (1)** There shall be constituted a committee, for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

Provided that, for the purpose of constitution of the Committee under this sub-rule, the provision of Section 8 of the Chhattisgarh Lok Sewa (Anushuchit Jatiyon, Anushuchit Jan JAtiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke liya Aarankshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994), shall also be adhered to.

(2) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) Promotion shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(4) Procedure for making promotion in the vacancies shall be made in accordance with rules mentioned in sub-rule (3) and the instruction issued by the Government in the General Administration Department, from time to time.

15. **Conditions of Eligibility for Promotion/Transfer.- (1)** Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of services, (whether officiating or substantive) on the posts from which promotion is to be made or on any other posts declared equivalent there to by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provision of sub-rule (2).

Explanation:- Method of Computation for Eligibility for Promotion.- The calculation of period of qualifying service on the 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is convened shall be counted from the year when

the Government servant has attained the pay-scale of the respective feeder cadre/post of service/post and not from the date he has attained the pay-scale.

(2) Provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003 will be applicable for reservation in promotion.

(3) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government for promotion.

16. Preparation of list of suitable candidates for promotion.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons who satisfy the condition prescribed in rule-15 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) For preparing the selection list for promotion, the criteria will be seniority subject to fitness.

(3) The names of the employees included in the list shall be arranged in order of seniority in the service of posts, as specified in Column (2) of Schedule–IV at the time of preparation of such select list as per Chhattisgarh Civil Service (General conditions of Service) Rules, 1961.

Explanation:- A person, whose name is included in the select list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

17. Select list.- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of the Schedule-IV.

(2) The select list for promotion shall be valid up to one year from the date of approval of selection list in which it is prepared.

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

18. Appointment to the Service from the Select list.- (1) Appointment of the employees included in the select list shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

19. Probation.- Every person promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Government to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the directions/orders issued by the State Government from time to time in this regard.

23. **Repeal and saving.-** All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are herby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretay.

SCHEDULE-I

(See Rule-4 & 5)

Number of posts included in the service, classification & scale of pay

Sr. No.	Name of Post included in the service	No. of Post	Classification	Pay scale	Grade Payment
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Secretary/Registrar	1	Class-1	15,600-39,100	6,600
2	Office Superintendent	1	Class-III	9,300-34,800	4,300
3	Accountant	1	Class-III	5,200-20,200	2,400
4	Reader/Assistant Grade-1	2	Class-III	5,200-20,200	2,800
5	Stenographer (Hindi)	2	Class-III	5,200-20200	2,800
6	Stenographer (English)	2	Class-III	5,200-20,200	2,800
7	Steno Typist	1	Class-III	5,200-20,200	1,900
8	Record Keeper	1	Class-III	5,200-20,200	1,900
9	Liabrary Assistant	1	Class-III	5,200-20,200	1,900
10	Data Entry Operator	1	Class-III	5,200-20,200	1,900
11	Assistant Grade-2	3	Class-III	5,200-20,200	2,400
12	Assistant Grade-3	3	Class-III	5,200-20,200	1,900
13	Jamadar	1	Class-IV	4,750-7,440	1,400
14	Peon	6	Class-IV	4,750-7,440	1,300
15	Process-Server	3	Class-IV	4,750-7,440	1,300
	Total	29			

SCHEDULE-II
(See Rule-6)
Method of Recruitment

Sr. No.	Name of Post	No. of Posts	Percentage of number of posts to be filled		
			By Direct Recruitment	By Promotion of member of the Service	By Deputation of person from other service
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Secretary	1	-	-	100%
2	Office Superintendent	1	-	100%	-
3	Accountant	1	-	100%	-
4	Reader/Assistant Grade -I	2	-	75%	25%
5	Stenographer (Hindi)	2	50%	50%	-
6	Stenographer (English)	2	50%	50%	-
7	Steno Typist	1	100%	-	-
8	Record keeper	1	100%	-	-
9	Library Assistant	1	100%	-	-
10	Data Entry Operator	1	100%	-	-
11	Assistant Grade-II	3	-	100%	-
12	Assistant Grade-III	3	75%	25%	-
13	Jamadar	1	-	100%	-
14	Peon	6	100%	-	-
15	Process Server	3	100%	-	-
	Total	**29**			

SCHEDULE-III

(See Rule- 8)

Conditions of eligibility for direct recruitment					
Name of the department	**Sr. No.**	**Name of the service & designation of the post**	**Minimum age limit**	**Maximum age limit**	**Prescribed Educational Qualification**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	**Grade Payment**
Chhattisgarh Commercial Tax Tribunal		Chhattisgarh Commercial Tax Tribunal Class-III (Non Gazetted) Ministrial Service			
	1	Stenographer Hindi	18 years	30 years/ Local Resident of Chhattisgarh 35 years	1. Higher Secondary or equivalent examination passed or first year degree course passed from any recognised university.
					2. Hindi Stenography passed in 100 words/minute in Chhattisgarh/ Madhya Pradesh Stenography & Typing Board or any other institutions recognised by Government of Chhattisgarh. 3. Hindi Typing passed in 25 words/minute in Chhattisgarh/Madhya Pradesh Stenography & Typing Board or any other institutions recognised by Government of Chhattisgarh. 4. One year diploma in data entry operater/programming & data entry of 10,000 depression/hour from recognised insititutions of government of Chhattisgarh.
	2	Stenographer English	18 years	30 years/ Local Resident of Chhattisgarh 35 years	1. Higher Secondary or equivelant examination passed or first year degree course passed from any recognised universities.
					2. English Stenography passed in 100 words/minute in Chhattisgarh/Madhya Pradesh Stenography & Typing Board or any other institutions recognised by Government of Chhattisgarh.
					3. English Typing passed in 30 words/minute in Chhattisgarh/Madhya Pradesh Stenography & Typing Board or any other institutions recognised by Government of Chhattisgarh.

					4. One year diploma in data entry operater/programming & data entry of 10,000 depression/hour from recognised insititutions of Government of Chhattisgarh.
	3	Steno Typist	18 years	30 years/ Local Resident of Chhattisgarh 35 years	1. Higher Secondary or equivalent examination passed or first year degree course passed from any recognised university.
					2. Hindi Stenography passed in 60 words/minute in Chhattisgarh/Madhya Pradesh Stenography & Typing Board or any other institutions recognised by government of Chhattisgarh. 3. Hindi Typing passed in 25 words/minute in Chhattisgarh/Madhya Pradesh Stenography & Typing Board or any other institutions recognised by Government of Chhattisgarh. 4. One year diploma in data entry operater/programming & data entry of 10,000 depression/hour from recognised insititutions of Government of Chhattisgarh.
	4	Assistant Grade-III	18 years	30 years/ Local Resident of Chhattisgarh 35 years	1. Higher Secondary (10+2) or equivalent examination passed or first year degree course passed from any recognised university.
					2.. Hindi Typing passed in 25 words/minute in C.G. Stenography & Typing Board or any other institutions recognised by government of Chhattisgarh.
					3. One year diploma in data entry operater/programming & data entry of 10,000 depression/hour from any recognised insititutions of government of Chhattisgarh.
	5	Record Keeper	18 years	30 years/ Local Resident of Chhattisgarh 35 years	1. Higher Secondary (10+2) or equivalent examination passed or first year degree course passed from any recognised university.

					2. Hindi Typing passed in 25 words/minute in C.G. Stenography & Typing Board or any other institutions recognised by Government of Chhattisgarh.
	6	Data Entry Operator	18 years	30 years/ Local Resident of Chhattisgarh 35 years	1. Higher Secondary (10+2) or equivalent examination passed or first year degree course passed from any recognised university.
					2. Hindi Typing passed in 25 words / minute in Chhattisgarh/Madhya Pradesh Stenography & Typing Board or any other institutions recognised by Government of Chhattisgarh/ Madhya Pradesh. 3. One year diploma in data entry operater/programming & data entry of 10,000 depression/hour from recognised insititutions of Government of Chhattisgarh.
	7	Library Assistant	18 years	30 years/ Local Resident of Chhattisgarh 35 years	B. Lib
	8	Peon	18 years	30 years/ Local Resident of Chhattisgarh 35 years	Should have passed 8th class from recognised institution of Chhattisgarh Government.

SCHEDULE-IV

(See Rule-11,12 & 13)

Essential Qualification for promotion and constitution of Departmental Promotion Committee

Name of Service	Name of the post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Experience for promotion	Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Chhattisgarh Commercial Tax Tribunal Service	Assistant Grade-I	Office Superintendent	5 years	The committee consisting of three members constituted by the chairman on this behalf.
	Assistant Grade-II/ Accountant	Assistant Grade-I	5 Years	The committee consisting of three members constituted by the chairman on this behalf.
	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II/ Accountant	5 Years/7 Years (Accountant Exam Passed)	The committee consisting of three members constituted by the chairman on this behalf.
	Peon	Assistant Grade-III	5 Years	The committee consisting of three members constituted by the chairman on this behalf.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक/322 क/भू-अर्जन/02/अ-82/वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	सांकरा	0.56	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रायपुर.	नागदेव नाला सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरूद मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 9 मार्च 2010

क्रमांक/323 क/भू-अर्जन/03/अ-82/वर्ष 2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	भोथीडीह	0.48	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, रायपुर.	नागदेव नाला सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरूद मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्रमांक 14/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बोड़सरा	0.226	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक-1, बिलासपुर.	सकरी से पेण्ड्रीडीह बायपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्रमांक 16/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	अमसेना	0.089	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग क्रमांक-1, बिलासपुर.	सकरी से पेण्ड्रीडीह बायपास सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्रमांक 22/अ-82/08-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन-अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	बोड़सरा	0.020	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, संभाग बिलासपुर.	सकरी पेण्ड्रीडीह बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक 02/अ-82/09-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पोंडी	0.849	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	पोंडी कंचनपुर मार्ग पर अरपा सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 15 मार्च 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	सालेमेटा	12.93	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत च्यूटफाल के स्पिल चैनल निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 31 मार्च 2010

क्र./2394/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ;—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	महरूमकला प. ह. नं. 12	54.924	जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, राजनांदगांव.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्रमांक 9/अ 82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-धनगवां

(घ) लगभग क्षेत्रफल-12.07 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
663/1, 664/1, 665	0.48
669	0.46
837	0.40
521/2	0.18
602	0.24
617	0.28
619/1	0.44
667	0.28
679	0.40
691	0.14
695	0.13
836	0.12
541	0.20
523/1	0.28
540	0.60
523/3	0.18
501/1	0.22
542/1	0.94
497	0.09
500	0.11
677/12	0.18
513/2	0.24
514	0.39
648/2, 658	0.31
678/5	0.37
678/6	0.37
694/1	0.28
603/1, 604, 628/3	0.59
625/1	0.48
522	0.29
385	0.31
386	0.11
668	0.22
692	0.16
701	0.33
702	0.13
526/2	0.27
838/1	0.26
659	0.02
700	0.18
527	0.04
605	0.37
योग 42	12.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आन्दुल (जोगीडोंगरी) जलाशय की बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्रमांक 15/अ 82/08-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर

(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड

(ग) नगर/ग्राम-भदौरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.95 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1184/1	0.32
1034	0.39
1143/1	0.32
1185	0.06
1118/1	0.22
1121/2	0.66
1100/1	0.33
1113/4	0.62
1122/1	0.10
1028/2	0.30
1129/6	0.32
1143/6	0.32
1182/1	0.10
1169/9	0.24
1100/2	0.11
1028/1	0.18
1108/6	0.48
1168/1	0.05
1121/1	0.54
1181/1	0.27
1182/2	0.10
1183/2	0.29
1168/2	0.07
1179/1	0.19
1120/1	0.27
1167/2	0.08
1107	0.10
1106	0.38
1119/1	0.27
1100/4	0.29
1120/2	0.27
1031/4	0.11
1121/4	0.60
योग 33	8.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- आन्दुल (जोगीडोंगरी) जलाशय के मुख्य नहर (एल.बी.सी.) निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/03/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चोकावाडा, प. ह. नं. 27
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-16.53 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
5	2.33
6	1.32
7	0.53
101	1.21
102	1.54
103	1.21
104	0.18
105	0.38
106	0.41
107	0.06
579	0.74
580	0.20
581	0.27
582	0.53
583/1	0.27
583/2	0.27
583/3	0.27
584	0.43
585/1	1.21
585/2	0.20
585/3	0.20
585/4	0.80

(1)	(2)
585/5	0.20
585/6	0.20
585/7	0.20
586	0.89
587/1	0.03
587/2	0.07
587/3	0.08
587/4	0.04
588	0.26
योग 31	16.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एन. एम. डी. सी. आयरन स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक/क /भू-अर्जन/04/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-कस्तुरी, प. ह. नं. 27

(घ) लगभग क्षेत्रफल-71.29 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
86	0.81
87/1	0.04
87/2	0.10
87/3	0.09
87/4	0.20
90	0.71
91	0.81
92	0.28
93/1	0.41
93/2	0.02
93/3	0.38
94/1	0.41
94/2	0.40
95/1	2.00
95/2	0.35
95/3	0.63
109/1	0.19
109/2	0.16
211	0.28
109/3	0.16
109/4	0.12
110/1	0.20
110/2	0.20
110/3	0.20
110/4	0.20
110/5	0.21
111	1.21
112	0.10
113	0.04
115	0.10
116/1	0.10
116/2	0.10
116/3	0.10
116/4	0.10
117	0.38
118	0.08
119	0.81
219/2	0.12
212/1	0.04
212/2	0.26
212/3	0.14
212/4	0.04
212/5	0.04
213/1	0.32
213/2	0.40
213/3	0.29
213/4	0.15
213/5	0.15
213/6	0.25
213/7	0.25
213/8	0.15

(1)	(2)	(1)	(2)
214/1	0.42	241/4	0.16
214/2	0.21	242/1	2.00
214/3	0.42	242/2	0.09
214/4	0.21	242/3	0.09
215/1	0.21	242/4	0.09
215/2	0.40	242/5	0.09
215/3	0.40	242/6	0.09
215/4	0.20	242/7	0.09
215/5	0.40	242/8	0.07
215/6	0.73	243	0.80
215/7	0.20	244/1	0.13
216/1	0.42	244/2	0.13
216/2	0.44	244/3	0.12
216/3	0.17	244/4	0.12
216/4	0.41	245/1	0.06
216/5	0.21	245/2	0.06
216/6	0.18	245/3	0.06
216/7	0.24	245/4	0.06
216/8	0.20	245/5	0.06
216/9	0.20	245/6	0.06
217/1	0.17	245/7	0.04
217/2	1.22	246	0.70
217/3	0.80	478	0.42
217/4	0.12	479/1	0.09
217/5	0.12	479/2	0.11
218/1	0.07	479/3	0.09
218/2	0.14	480	0.73
218/3	0.06	481/1	0.21
218/4	0.06	481/2	0.21
218/5	0.08	484	0.37
219/1	0.12	485/1	0.22
485/2	0.40	512/7	0.20
486	0.74	513/1	1.66
219/3	0.12	487/1	0.43
219/4	0.10	487/2	0.08
222	0.16	488/1	0.07
225/1	0.21	488/2	0.06
225/2	0.40	489	0.32
226/1	0.09	490/1	0.40
226/2	0.42	490/2	0.41
226/3	0.33	491/1	0.13
233/1	0.09	491/2	0.13
233/2	0.08	491/3	0.13
241/1	1.04	491/4	0.12
241/2	0.65	492/1	0.40
241/3	0.80	492/2	0.08

(1)	(2)
494	0.34
495	0.35
496	0.41
497	0.43
498	1.29
499/1	0.30
499/2	0.30
500/1	0.40
500/2	0.36
501	0.40
502	0.58
503	0.30
504	0.31
505/1	0.19
505/2	0.20
506	0.81
507	0.30
508	0.30
509/1	0.15
509/2	0.15
509/3	0.14
509/4	0.14
510	0.71
511	1.23
512/1	0.91
512/2	0.31
512/3	0.91
512/4	0.91
512/5	0.20
512/6	0.20
530	1.29
513/2	0.05
513/3	0.80
513/4	0.80
514	0.45
515	0.47
516	0.61
517	1.94
518	1.16
519	0.88
520/1	0.19
520/2	0.09
520/3	0.06
520/4	0.10

(1)	(2)
520/5	0.10
520/6	0.10
520/7	0.09
520/8	0.08
521/1	0.06
521/2	0.05
521/3	0.05
521/4	0.05
521/5	0.05
521/6	0.06
521/7	0.05
521/8	0.05
521/9	0.05
522/1	0.03
522/2	0.02
524	0.15
525/1	0.24
525/2	0.30
525/3	0.33
525/4	0.34
526	0.65
527	1.01
528/1	0.20
528/2	0.20
528/3	0.20
528/4	0.20
528/5	0.20
528/6	0.20
528/7	0.16
529	1.21
223/2	0.02
योग 218	71.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एन. एम. डी. सी. आयरन स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/05/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उपनपाल, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.79 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
664/1	0.06
664/2	0.06
664/3	0.06
664/4	0.05
665	0.30
668/1/1	0.07
668/1/2	0.06
668/2	0.13
670/1	0.47
670/2	0.08
671	0.23
674	0.18
676/1	0.06
676/2	0.11
676/3	0.05
678	0.20
679	0.06
681	0.28
682	0.20
683	0.26
687	0.35
693/1	0.62
693/2	0.16
693/3	0.08
693/4	0.12
693/5	0.12
693/6	0.12
695	0.14
702/1	0.14
702/2	0.20
702/3	0.10
702/4	0.14
702/5	0.14
702/6	0.10
704/1	0.22
704/2	0.22
704/3	0.22
704/4	0.06
704/5	0.05
705/1	0.23
705/2	0.22
706/1	0.71
706/2	0.06
706/3	0.06
706/4	0.18
706/5	0.04
706/6	0.02
706/7	0.02
706/8	0.02
706/9	0.12
707	0.84
योग 51	8.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एन. एम. डी. सी. आयरन स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/06/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-नगरनार, प. ह. नं. 25

(घ) लगभग क्षेत्रफल-26.35 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1632/1	0.42
1632/2	0.60
1632/3	0.50
1632/4	0.50
1633	2.02
1634	0.86
1635/1	0.08
1635/2	0.03
1635/3	0.08
1635/4	0.04
1635/5	0.04
1635/6	0.04
1635/7	0.02
1635/8	0.02
1635/9	0.04
1635/10	0.02
1635/11	0.08
1635/12	0.08
1635/13	0.05
1635/14	0.04
1635/15	0.04
1635/16	0.06
1635/17	0.04
1635/18	0.04
1635/19	0.02
1635/20	0.04
1635/21	0.01
1635/22	0.01
1635/23	0.02
1635/24	0.04
1636/1, 1636/2, 1636/3	0.32
1637/1	0.28
1637/2	0.28
1638	0.88
1639/1	2.00
1639/2	0.20
1639/3	0.40
1639/4	0.40
1639/5	0.20
1639/6	0.40
1639/7	0.32
1639/8	0.40
1639/9	0.36
1639/10	0.35
1640	1.18
1641	0.48
1642/1	1.30
1642/2	0.11
1642/3	0.06
1642/4	0.10
1642/5	0.05
1643/1	0.09
1643/2	0.09
1643/3	0.04
1643/4	0.09
1643/5	0.04
1643/6	0.05
1643/7	0.05
1643/8	0.04
1643/9	0.04
1644/1	0.23
1644/2	0.23
1644/3	0.23
1644/4	0.23
1644/5	0.22
1644/6	0.22
1644/7	0.22
1644/8	0.22
1644/9	0.22
1654/1	0.10
1654/2	0.10
1654/3	0.10
1654/4	0.08
1655/1	0.28
1655/2	0.28
1656/1	0.04
1656/2	0.08
1656/3	0.07
1656/4	0.05
1656/5	0.05
1657/1	0.32
1657/2	0.30

(1)	(2)
1657/3	0.15
1657/4	0.15
1658/1	0.15
1658/2	0.15
1658/3	0.08
1658/4	0.12
1658/5	0.07
1659/1	0.08
1659/2	0.11
1659/3	0.22
1659/4	0.25
1659/5	0.11
1659/6	0.07
1659/7	0.07
1660/1	0.20
1660/2	0.20
1660/3	0.20
1660/4	0.16
1660/5	0.04
1661/1	0.06
1661/2	0.06
1661/3	0.44
1661/4	0.15
1661/5	0.15
1661/6	0.15
1662	0.15
1663/1	0.15
1663/2	0.15
1663/3	0.86
1663/4	0.08
1663/5	0.04
1663/6	0.04
1664	0.04
1672/1	0.04
1672/2	0.04
1672/3	0.08
1672/4	0.16
1672/5	0.08
1672/6	0.06
1672/7	0.04
1672/8	0.16
1672/9	0.06
1672/10	0.06
1672/11	0.06
1673	0.06
योग 140	26.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एन. एम. डी. सी. आयरन स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/07/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-माड़पाल, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-63.79 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
442/2	0.08
443/3	0.62
442/1	0.34
443/1	0.23
443/2	0.80
443/4	0.10
444/1	0.40
444/2	0.40
444/3	0.40
444/4	0.40
444/5	0.10

(1)	(2)	(1)	(2)
444/6	0.10	468/8	0.10
446/1	0.17	469/1	0.10
446/2	0.17	469/2	0.10
446/3	0.17	469/3	0.10
447/1	0.03	469/4	0.10
447/2	0.03	470/1	0.03
447/3	0.03	470/2	0.16
447/4	0.03	470/3	0.10
447/5	0.02	470/4	0.02
447/6	0.02	470/5	0.02
448/1	0.40	471	0.10
449	1.17	472	0.20
448/2	1.08	473/1	0.24
451	0.87	473/2	0.10
452	1.68	474	0.25
454	0.44	475	0.93
455	0.22	477/1	0.16
456	0.22	476/1	0.14
457	0.22	476/2	0.24
458	0.11	476/3	0.23
459	0.11	476/4	0.02
460	2.94	476/5	0.02
462	0.43	476/6	0.02
479	0.30	476/7	0.04
464/1	1.23	477/2	0.20
482/1	0.34	477/3	0.10
464/2	0.63	477/4	0.20
482/2	0.33	477/5	0.20
464/3	0.63	477/6	0.10
482/3	0.33	478/1	0.14
464/4	0.20	478/2	0.14
482/4	0.10	478/3	0.14
464/5	0.62	490/4	0.08
482/5	0.08	480/1	0.10
465	0.19	490/8	0.08
466/1	0.08	480/2	0.10
466/3	0.08	490/9	0.07
466/2	0.15	480/3	0.09
467	0.37	490/10	0.07
468/1	0.20	480/4	0.09
468/2	0.20	481	0.14
468/3	0.19	483	0.27
468/4	0.19	484	0.02
468/5	0.18	483/2	0.27
468/6	0.18	484/2	0.02
468/7	0.10	483/3	0.27

(1)	(2)	(1)	(2)
484/3	0.01	499/4	0.04
485/1	0.04	498/5	0.04
485/2	0.04	499/5	0.04
485/3	0.08	500/1	0.73
486/1	0.25	500/2	0.20
486/2	0.25	500/3	0.40
487/1	0.16	500/4	0.20
487/2	0.15	500/5	0.20
487/3	0.15	500/6	0.20
487/4	0.15	500/7	0.20
488/1	0.22	500/8	0.20
488/2	0.22	501/1	0.20
488/3	0.22	501/2	0.20
488/4	0.22	501/3	0.39
489/1	0.14	501/4	0.20
489/2	0.20	502/1	0.12
489/3	0.20	502/2	0.05
489/4	0.20	502/3	0.19
490/1	0.15	502/4	0.02
490/2	0.30	502/5	0.06
490/3	0.10	502/6	0.05
490/5	0.15	502/7	0.04
490/6	0.10	502/8	0.08
490/7	0.10	502/9	0.05
490/11	0.07	502/10	0.05
491	0.77	503/1	0.20
492	0.15	503/2	0.05
494	0.26	503/3	0.19
493/1	0.07	503/4	0.05
493/2	0.07	503/5	0.05
493/3	0.07	503/6	0.04
495/1	0.21	504/1	0.08
495/2	0.20	504/2	0.02
496	0.46	504/3	0.02
497/1	0.08	504/4	0.03
497/2	0.08	504/5	0.04
497/3	0.08	504/6	0.02
497/4	0.08	504/7	0.02
497/5	0.08	504/8	0.04
498	0.07	504/9	0.02
499	0.06	504/10	0.02
498/2	0.04	504/11	0.02
499/2	0.05	504/12	0.04
498/3	0.06	504/13	0.04
499/3	0.07	504/14	0.04
498/4	0.04	504/15	0.04

(1)	(2)
504/16	0.05
504/17	0.05
505	0.59
506/1	0.41
506/2	0.80
506/3	1.60
506/4	1.60
506/5	0.40
506/6	0.40
506/7	0.40
506/8	0.40
506/9	0.40
507/1	0.40
507/2	0.15
507/3	0.14
508/1	0.07
508/2	0.04
508/3	0.14
508/4	0.10
508/5	0.08
509/1	0.08
509/2	0.55
509/3	0.55
509/4	0.55
510/1	0.20
1265/1	0.09
510/2	0.06
1265/2	0.04
510/3	0.20
1265/3	0.09
510/4	0.07
1265/4	0.03
510/5	0.07
1265/5	0.03
511/1	0.15
1264/2	0.14
511/2	0.15
1264/2	0.14
511/3	0.14
1264/3	0.14
511/4	0.16
513	0.40
514	0.20
515/1	0.27
515/2	0.27
515/3	0.26
1261	0.37
1262	0.20
1263	0.46
1266/1	0.10
1274/1	0.06
1266/2	0.35
1274/2	0.13
1266/3	0.10
1274/3	0.06
1266/4	0.08
1266/5	0.08
1267	1.08
1268/1	0.41
1268/2	0.28
126/3	0.28
1268/4	0.28
1269/1	0.41
1269/2	0.40
1270	1.92
1271	0.36
1272	0.40
1273	0.34
1275/1	0.62
1275/2	0.63
1276/1	0.31
1276/2	0.20
1276/3	0.27
1276/4	0.08
1276/5	0.08
1269/1339	0.20
योग 271	63.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एन. एम. डी. सी. आयरन स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/08/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बीजापुट, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-19.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
120/1	0.52
120/2	0.46
120/3	0.60
120/4	0.40
120/5	0.14
120/6	0.20
120/7	0.20
120/8	0.40
120/9	0.40
121	0.95
122	0.20
123/1	0.80
123/2	0.80
124	0.26
125/1	0.21
125/2	0.07
125/3	0.07
125/4	0.07
125/5	0.09
125/6	0.10
126	0.40
127/1	0.40
127/2	0.07
127/3	0.40
127/4	0.40
127/152/1	0.08
127/152/2	0.09
128/1	0.16
128/2	0.12
131	0.58
132	0.13
133	0.19
134/1	0.20
134/2	0.40
135	0.07
136	0.15
137	0.52
138	0.09
139	0.07
140/1	0.55
140/2	0.10
140/3	0.10
140/4	0.10
140/5	0.10
140/6	0.08
140/7	0.10
140/8	0.08
140/9	0.06
140/10	0.08
140/11	0.08
140/12	0.04
140/13	0.08
140/14	0.08
140/15	0.05
140/16	0.20
140/17	0.20
140/18	0.20
140/19	0.12
140/20	0.04
140/21	0.20
140/22	0.20
140/23	0.06
140/24	0.06
140/25	0.04
140/26	0.04
140/27	0.04
140/28	0.04
140/29	0.05

(1)	(2)
140/30	0.06
140/31	0.04
140/32	0.04
140/33	0.04
140/34	0.04
140/35	0.04
140/36	0.04
140/37	0.06
141	0.15
142	0.18
143	0.14
145	0.70
146	0.08
149/1	0.45
149/2	1.31
149/3	0.20
149/4	0.20
150/1	0.73
150/2	0.73
योग . 87	19.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-एन. एम. डी. सी. आयरन स्टील प्लांट स्थापना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर सिंह परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 फरवरी 2010

क्रमांक/677/भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-बिलाईगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सलिहा, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.999 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
2/3झ, 340/10	0.595
339/1 क/5	0.404
योग 2	0.999

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बसना बम्हनी बिलाईगढ़ मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.